प्रेस विज्ञप्ति

17.07.2026

गोवा भूमि हड़पने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16.07.2026 को सिद्दीक खान उर्फ सुलेमान खान, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद खान, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी करवार, कर्नाटक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गोवा में जाली एवं फर्जी स्वामित्व (टाइटल) दस्तावेजों के माध्यम से उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा करने वाले संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड तथा प्रमुख लाभार्थी है।

ईडी ने धन शोधन की जांच गोवा पुलिस द्वारा आरोपी एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी तथा अचल संपत्तियों के कपटपूर्ण हस्तांतरण से संबंधित दर्ज अनेक आपराधिक मामलों के आधार पर प्रारंभ की। उक्त अपराध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं। राज्य पुलिस द्वारा इन मामलों में आरोप-पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि उक्त गिरोह ने जाली एवं पूर्व-तिथि वाले विक्रय विलेख तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तैयार किए। अनेक मामलों में ये दस्तावेज वास्तविक स्वामियों के मृत अथवा काल्पनिक पूर्ववर्तियों के नाम पर तैयार किए गए। इन दस्तावेजों का उपयोग कर आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के पक्ष में आधिकारिक भू-अभिलेखों में मूल्यवान भूमि के स्वामित्व का कपटपूर्ण नामांतरण एवं हस्तांतरण कराया गया। इस प्रकार अवैध रूप से हड़पी गई भूमि का बाद में विक्रय, विकास अथवा अन्य माध्यमों से आर्थिक दोहन करने का प्रयास किया गया, जिससे अपराध से अर्जित पर्याप्त आय उत्पन्न हुई, जिसे वैध संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया।

आरोपी द्वारा अथवा उसकी ओर से कपटपूर्वक अर्जित एवं धारण की गई अचल संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 25 हेक्टेयर (लगभग 62.5 एकड़) उच्च मूल्य की भूमि है। चूंकि इन संपत्तियों के लिए कोई वास्तविक प्रतिफल कभी अदा नहीं किया गया तथा उनका स्वामित्व केवल कूटरचना के माध्यम से प्राप्त किया गया था, इसलिए अपराध से अर्जित आय का प्रारंभिक अनुमान कम से कम 300 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसका अंतिम निर्धारण जांच पूर्ण होने पर किया जाएगा।

आरोपी, जिसके विरुद्ध पूर्व से ही अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा जो हिस्ट्रीशीटर है, को विधि द्वारा निर्धारित समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 16.07.2026 को पीएमएलए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तर गोवा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने आरोपी से पूछताछ, धन के संपूर्ण प्रवाह (मनी ट्रेल) का पता लगाने, दूषित संपत्तियों एवं अन्य लाभार्थियों की पहचान करने तथा व्यापक षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से ईडी को आरोपी की 5 (पांच) दिन की अभिरक्षा प्रदान की है।

आगे की प्रक्रियाधीन जारी है।